<u>न्यायालय–गौतम भट्ट, तेईसवे जिला न्यायाधीश,</u>
<u>ग्वालियर (म.प्र.)</u>

प्रकरण क्रमांक–772 / 2023

CNRNO MP0701-019070-2023

बालकृष्ण

विरूद्ध

सच्चितानंद उर्फ संतोष आदि

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22.07.2025

22.07.2025 वादी द्वारा श्री राठौर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री अशोक खेड़कर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा श्री मधुसूदन श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा श्री आर.पी.पालीवाल अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता।

प्रकरण <u>वादी साक्ष्य(अंतिम अवसर)</u> हेतु नियत है।

इसी स्तर पर वादी की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 सी.पी.सी. का पेश किया गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रतिपक्ष को प्रदाय की गयी।

उक्त आवेदन पत्र का प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया,जिसकी प्रतिलिपि वादी पक्ष को प्रदाय की गयी।

प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध प्रकट किया गया।

आवेदन के संबंध में उभयपक्ष को सुना गया।

<u>इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।</u>

वादी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, हस्तगत प्रकरण आज न्यायालय के समक्ष वादी की साक्ष्य हेतु नियत है। वादी का स्वास्थ्य खराब है तथा वादी का हार्ट का बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर के द्वारा उसे एक माह बेडरेस्ट की सलाह दी गयी है

उपरोक्त कारण से वादी आज न्यायलय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में वादी की साक्ष्य हेतु आगामी पेशी नियत किया जाना उचित व न्यायसंगत है। वादी का मेडीकल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन सद्भावना पर आधारित होने से स्वीकार कर उक्त प्रकरण में वादी की साक्ष्य हेतु आगामी पेशी नियत किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुये इस आशय का विरोध प्रकट किया गया है कि, वादी कई बार साक्ष्य हेतु अवसर प्राप्त कर चुका है तथा वादी को अंतिम अवसर न्यायालय द्वारा दो बार दिया जा चुका है। वादी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। वादी द्वारा हार्ट का ऑपरेशन होना बताया गया है, जबकि जो पर्चा प्रस्तुत किया है वह किसी न्यूरोसर्जन का बनवाया है। वादी द्वारा मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः अवसर समाप्त किया जाये।

नोट–प्रतिवादी की ओर से न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं की दिनांकों का उल्लेख करते हुये न्यायालय की कार्यवाहियों को विस्तृत रूप से अपने उत्तर में उल्लेखित किया है जो न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं में उल्लेखित स्थितियां हैं, जिससे उन्हें पुनः नहीं लिखा जा रहा है।

प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध प्रकट किया गया।

आवेदन के संबंध में उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि, प्रकरण दिनांक 04.11.2024 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया था जिसके पश्चात दिनांक 26.11.2024, 16.12.2024, 10.01.2025, 10.02.2025 को स्थगन लिये गये। वादी की ओर से दिनांक 04.03.2025 को साक्ष्य प्रारंभ की गयी एवं दस्तावेज के अभाव में पुनः स्थगन लिया गया। दिनांक 20.03.2025 को वादी विलंब से

दोपहर पश्चात उपस्थित हुआ, तब रेफरेंस हो जाने से उसकी साक्ष्य अग्रसर नहीं हुयी। दिनांक 08.04.2025 को वादी पुनः दस्तावेज भूल गया जिससे उसके द्वारा स्थगन लिया गया। दिनांक 19.06.2025 पूर्व दिनांक को हृदय की चिकित्सा के आधार पर स्थगन चाहा गया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा लगभग डेढ माह की पेशी नियत करते हुये अंतिम अवसर दिया गया।

उक्तानुसार **वादी की साक्ष्य हेतु यह दसवां अवसर है**। आज के स्थगन के संबंध में आदेश 17 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों के प्रकाश में उचित एवं पर्याप्त कारण को देखे जाने पर वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में डॉक्टर शशांक एस. जोशी का एक प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसके अनुसार उन्हें 19.07.2025 से एक माह के बेडरेस्ट की सलाह दी गयी है।

न्यायालय के अभिलेख से यह प्रकट है कि वादी द्वारा हृदय की चिकित्सा के आधार पर स्थगन लिये जाते रहे हैं तथा आज भी मौखिक रूप से दर्शाया है कि हृदय की शल्य चिकित्सा हुयी है अतः एक माह का अवसर दिया जाये। प्रकरण में हृदय की किसी भी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित कोई दस्तावेज आवेदन के साथ पेश नहीं है। आवेदन के साथ प्रस्तुत मात्र उक्त प्रमाण पत्र जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ का न होकर, एक न्यूरोसर्जन का है, के आधार पर कोई निष्कर्ष वादी की बीमारी के संबंध में प्राप्त नहीं है। हृदय के किसी चिकित्सा या इससे संबंधित कोई भी शल्य चिकित्सा या इलाज के कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है।

आज वादी साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर था एवं वादी की ओर से आदेश 17 सी.पी.सी. के अंतर्गत जो कारण दर्शाया गया है, वह उचित, पर्याप्त एवं पक्षकार के सक्षमता के बाहर के होना प्रकट नहीं होते हैं। प्रकरण अंतहीन स्तर तक साक्ष्य हेतु नियत किया जाना प्रतिवादी पक्ष के प्रति अन्याय है, वह भी तब जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रतिपरीक्षण हेतु कभी स्थगन न लिया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में वादी की साक्ष्य का अवसर इस समय 4:30 बजे समाप्त किया जाता है।

वादी का अधूरा परीक्षण प्रकरण में पढ़े जाने योग्य नहीं होगा। प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त परिस्थितियों में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया, एवं

दर्शाया गया कि उन्हें परिव्यय दिलाया जाये।

प्रकरण में कोई भी स्वीकृत अथवा ऐसी स्थिति नहीं है जिसके आधार पर कोई निर्णय पारित हो। अतः उक्त परिस्थितियों में विचारोपरांत **आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के अंतर्गत वाद निरस्त किया जाता है**।

वादी स्वयं एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।

व्यय तालिका बनायी जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार संप्रेषित हो।

सही/–

(गौतम भट्ट)
तेईसवे जिला न्यायाधीश,
ग्वालियर(म.प्र.)

GAUTAM BHATT

Digitally signed by GAUTAM BHATT
Date: 2025.07.22 16:58:54 +0530